भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 765
23 जुलाई,2026 को उत्तर देने के लिए

पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना

765. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित या स्वीकृत किए गए मेगा फूड पार्को, शीत श्रृंखला परियोजनाओं और कृषि-प्रसंस्करण संकुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार सहित पूर्वी भारत के राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना की उपलब्धता और विकास की स्थिति का आकलन किया है और यदि हां, तो क्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन राज्यों में कोई क्षेत्रीय असंतुलन पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा पिछड़े और कृषि प्रधान क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, किसान उत्पादक संगठनों के लिए प्रोत्साहन और ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजनाएं चल रही हैं या ठोस पहल की जा रही हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) पिछले तीन वर्षों में देश भर में पीएमकेएसवाई (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित शीत-श्रृंखला परियोजनाओं और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों का विवरण अनुबंध में दिया गया है। मेगा फूड पार्क (एमएफपी) योजना को दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है।

(ख) मंत्रालय ने "भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं का आकलन", 2025 नामक अध्ययन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं का आकलन किया है। यह अध्ययन इस क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रमुख अवसंरचना की स्थिति का मूल्यांकन करता है, जिसमें कोल्ड चेन, गोदाम, परिवहन और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, और उन प्रमुख अवसंरचना की कमियों की पहचान करता है जिनके लिए क्षेत्र के विकास में सहायता के लिए निवेश की आवश्यकता है। तथापि, यह अध्ययन विशेष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में बिहार सहित पूर्वी राज्यों के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना में किसी भी क्षेत्रीय असंतुलन का विवरण नहीं देता है।

(ग) एमओएफपीआई देश भर में खाद्य प्रसंस्करण और उससे संबंधित अवसंरचना को मजबूत करने और बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है, जो अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं—अर्थात् प्रधानमंत्री किसान सपंदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

(पीएलआईएसएफपीआई)—के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से काम कर रहा है। ये सभी मांग-आधारित पहलें हैं, जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना सृजित करने और खेत से लेकर खुदरा दुकान तक फैली कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन स्थापित करने के लिए तैयार किया गया है। इन उद्देश्यों को पूरा करने में, ये योजनाएँ सामूहिक रूप से किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने, देश भर में—बैकवर्ड और कृषि प्रधान क्षेत्रों सहित—व्यापक रोजगार के अवसर पैदा करने, कृषि उत्पादों का अपव्यय कम करने, समग्र उत्पादकता बढ़ाने और प्रसंस्करण के स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य करती हैं। प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, ये प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं और समावेशी और संतुलित विकास में एक सार्थक योगदान देते हैं।

किसान-उत्पादक लिंकेजेज को सुदृढ़ करने के लिए, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एफपीओ श्रेणी के आवेदकों को वित्तीय सहायता में निम्नलिखित विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं:

i. पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से सब्सिडी के रूप में अनुदान सहायता, जबकि सामान्य/कठिन क्षेत्रों में यह 35% है, और खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) योजना के मामले में सब्सिडी/अनुदान सहायता सामान्य क्षेत्रों में 50% की तुलना में 70% है;

ii. कम इक्विटी योगदान – अन्य के लिए 20% की तुलना में 10% आवश्यक;

iii. कम न्यूनतम क्रेडिट/ऋण आवश्यकता – अन्य के लिए 20% की तुलना में 10% आवश्यक; और

iv. कम निवल-मूल्य आवश्यकता अर्थात सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए 1.5 गुना की तुलना में, मांगी गई अनुदान सहायता के बराबर।

एमओएफपीआई की प्रचार गतिविधि योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने वर्ष 2025 के दौरान देश भर में 48 कार्यक्रमों — सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, प्रदर्शनी — के आयोजन के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना, किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन प्रदान करना, और मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में छोटे और सीमांत किसानों सहित निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना है।

अनुबंध

लोकसभा में 23 जुलाई, 2026 को "पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना" उत्तर हेतु गए प्रश्न संख्या 765 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित शीत श्रृंखला परियोजनाओं का विवरण				
वित्त वर्ष	**अनुमोदित परियोजनाएं**	**परियोजना लागत (करोड़ रु. में)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)**
2023-24	25	977.05	191.84	79.45
2024-25	0	0	0	0
2025-26	35	1291.97	288.08	6.57
कुल	**60**	**2269.02**	**479.92**	**86.02**

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित कृषि प्रसंस्करण का कलस्टर विवरण				
वित्त वर्ष	**अनुमोदित परियोजनाएं**	**परियोजना लागत (करोड़ रु. में)**	**अनुमोदित अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रु. में)**
2023-24	8	259.79	78.20	22.43
2024-25	0	0	0	0
2025-26	11	380.43	97.65	0
कुल	**19**	**640.22**	**175.85**	**22.43**